न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 30/2008

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 दरियावकंवर पत्नी चंदनसिंह		1 दानाराम पुत्र हरजी कलबी निवासी राऊता
2 प्रतापकंवर पुत्री चंदनसिंह		2 मोतीराम पुत्र प्रागजी कलबी
3 इन्दरकंवर पुत्री चंदनसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण राऊता		3 देवाराम पुत्र प्रागजी जाति कलबी निवासीगण वाटेरा
		4 मुस्मान अमीया पत्नी दानाराम
		5 मालाराम पुत्र दानाराम
		6 तिकमा पुत्र हरजी जातिगण कलबी निवासीगण राऊता तहसील बागोडा
		7 ओखा पुत्र हरजी जाति कलबी
		8 मुस्मान हंसकंवर बेवा चंदनसिंह
		9 शैतानसिंह पुत्र चन्दनसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण राऊता
		10 सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) बागोडा जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री शंभूदान आशिया विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री सुरेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 8.6.2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 108/2001 दरियाव कंवर बनाम दानाराम वगैरा में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.02.2008 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस में कथन किया कि ग्राम राऊता तहसील बागोडा के खसरा नम्बर 327 रकबा 141 बीघा 2 बिस्वा की भूमि चन्दनसिंह की सह खातेदारी भूमि थी। चंदनसिंह के दो पत्नीयां थी, जो अपीलांट संख्या 1 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 8 है तथा एक पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 9 व दो पुत्रीयां अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 है। जब चंदनसिंह की मृत्यु हुई, तो रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 द्वारा चंदनसिंह के फौतेदगी नामान्तरकरण में स्वयं का नाम दर्ज करवा दिया, जो नामान्तरकरण दिनांक 12.09.1987 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत होने से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 द्वारा 20–20 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बेचान कर दी तथा उसके पश्चात भी भूमियों का सिलसिलेवार बेचान हस्तान्तरण किया गया। उक्त भूमि में चंदनसिंह के विधिक वारिशान होने के कारण अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 का बराबर 1/5 – 1/5 हक हिस्सा निहित था, किन्तु राजस्व रेकर्ड में जरिये नामान्तरकरण अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं किये जाने के कारण अपीलाण्ट अपने जायज हकों से महरूम रहे। इस कारण रेस्पोडेन्ट अपने हिस्से से अधिक भूमि बेचान करने के अधिकारी नहीं थे, इसके बावजूद इनके द्वारा सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर दिया गया। इन समस्त तथ्यों को लेंकर अपीलाण्ट द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी घोषित कराने, विभाजन कराने एवं रेस्पोडेन्ट्स को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा वाद में वर्णित तथ्यो को साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित कब्जे के बारे में निर्णय किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (25) के तहत विधवा महिला का कब्जा उसकी भूमि पर स्वतः माना जाता है, चाहे वह भूमि अपने सुपरविजन में काश्त करवाय या नहीं करवाए। इस प्रकार कानून की गलत व्याख्या कर तनकी संख्या 13 का विनिश्चय किया गया है। हालांकि फौतेदगी के प्रकरण में कब्जे का कोई महत्व नहीं होता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट के हक, कब्जे के आधार पर न मिलकर अपने पिता/पति की मृत्यु पर स्वतः कानूनन प्राप्त हो जाते है, इसके लिए किसी भी घोषणा की आवश्यकता नहीं होतीं है तथा न ही मौके पर जाकर कब्जे की, क्योंकि उत्तराधिकार में हक कानून के अनुसार स्वतः प्राप्त हो जाते है। यदि हक नहीं प्राप्त होते, तो घोषणा की आवश्यकता होती है, जैसा हस्तगत प्रकरण में हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की है, उन तनकीयात को विधि विरूद्ध एवं कानून से परे जाते हुए विनिश्चित किया गया है। जिन तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, वे बिना साक्ष्य के मात्र कयासी आधारों पर विनिश्चित की गई। अपीलाण्ट्स द्वारा स्वयं को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.02.2008 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस में कथन किया कि ग्राम राऊता तहसील बागोडा के खसरा नम्बर 327 रकबा 141 बीघा 2 बिस्वा की भूमि चन्दनसिंह की सह खातेदारी भूमि थी। चंदनसिंह के दो पत्नीयां थी, जो अपीलांट संख्या 1 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 8 है तथा एक पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 9 व दो पुत्रीयां अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 है। जब चंदनसिंह की मृत्यु हुई, तो रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 द्वारा चंदनसिंह के फौतेदगी नामान्तरकरण में स्वयं का नाम दर्ज करवा दिया, जो नामान्तरकरण दिनांक 12.09.1987 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत होने से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 द्वारा 20–20 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बेचान कर दी तथा उसके पश्चात भी भूमियों का सिलसिलेवार बेचान हस्तान्तरण किया गया। उक्त भूमि में चंदनसिंह के विधिक वारिशान होने के कारण अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 का बराबर 1/5 – 1/5 हक हिस्सा निहित था, किन्तु राजस्व रेकर्ड में जरिये नामान्तरकरण अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं किये जाने के कारण अपीलाण्ट अपने जायज हकों से महरूम रहे। इस कारण रेस्पोडेन्ट अपने हिस्से से अधिक भूमि बेचान करने के अधिकारी नहीं थे, इसके बावजूद इनके द्वारा सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर दिया गया। इन समस्त तथ्यों को लेकर अपीलाण्ट द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी घोषित कराने, विभाजन कराने एवं रेस्पोडेन्ट्स को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा वाद में वर्णित तथ्यो को साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित कब्जे के बारे में निर्णय किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (25) के तहत विधवा महिला का कब्जा उसकी भूमि पर स्वतः माना जाता है, चाहे वह भूमि अपने सुपरविजन में काश्त करवाय या नहीं करवाए। इस प्रकार कानून की गलत व्याख्या कर तनकी संख्या 13 का विनिश्चय किया गया है। हालांकि फौतेदगी के प्रकरण में कब्जे का कोई महत्व नहीं होता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट के हक, कब्जे के आधार पर न मिलकर अपने पिता/पति की मृत्यु पर स्वतः कानूनन प्राप्त हो जाते है, इसके लिए किसी भी घोषणा की आवश्यकता नहीं होती है तथा न ही मौके पर जाकर कब्जे की, क्योंकि उत्तराधिकार में हक कानून के अनुसार स्वतः प्राप्त हो जाते है। यदि हक नहीं प्राप्त होते, तो घोषणा की आवश्यकता होती है, जैसा हस्तगत प्रकरण में हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की है, उन तनकीयात को विधि विरूद्ध एवं कानून से परे जाते हुए विनिश्चित किया गया है। जिन तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, वे बिना साक्ष्य के मात्र कयासी आधारों पर विनिश्चित की गई। अपीलाण्ट्स द्वारा स्वयं को

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

चन्दनसिंह के वारिश होना साबित किया है, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाण्ट्स का वाद खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें, एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए अपीलाण्ट को अपने हिस्से अनुसार खातेदार घोषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। जैर अपील वादस्थ भूमियों का विक्रय किए हुए 15 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वादीगण द्वारा अपने वाद के जरिये कब्जा दिलवाने का अनुतोष चाहा है, जो मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। उक्त भूमियों का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के हुआ है, जिन्हे निरस्त करवाए बिना वाद पोषणीय नहीं था। अपीलाण्ट द्वारा अपने वाद में चंदनसिंह की अन्य भूमियों का विवरण पेश ही नहीं किया। चंदनसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में विधिवत विभाजन करते हुए अपनी सम्पति में से अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 को हिस्सा दिया था, जिसके अनुसार वह अपनी अपनी भूमियों पर काबिज काश्त थे। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 के हिस्से की भूमि को हडप करने की नियत से अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 द्वारा अपने हिस्से में आई भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बेचान किया है, जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट का इस भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा निहित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर अपील निर्णय दिनांक 29.02.2008 को पारित किया गया है, जबकि हस्तगत अपील अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 21.06.2008 को प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188, 53 के तहत वाद प्रस्तुत किया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसूची के भाग 3 के अनुसार इस प्रकार के वाद में पारित निर्णय की अपील निर्णय की दिनांक से 60 दिवस के भीतर प्रस्तुत किए जाने के प्रावधान है। हस्तगत अपील निर्णय पारित होने के परिसीमित समय के काफि विलम्ब से प्रस्तुत की है तथा विलम्ब के शमन हेतु निर्धारित धारा के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा अपील के चरण संख्या 15 में यह अंकित किया कि निर्णय दिनांक 29.02.2008 को हुआ है, जिसकी नकल हेतु आवेदन दिनांक 11.03.2008 को प्रस्तुत किया गया है, जो नकल दिनांक 09.04.2008 को प्राप्त हुई, जिससे अपील नकल प्राप्त करने में लगे उनतीस दिवस को जोडने पर अपील अन्दर मियाद होती है। इस सम्बन्ध में परिसीमा अधिनियम 1963 के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

भाग 3 की धारा 12 (2), (3) में उल्लेखित प्रावधानानुसार गणना करने पर प्रतिलिपी प्राप्त करने में लगे समय को समायोजित करने पर संगणना की जाती है, तो भी अपील अन्दर मियाद शुमार योग्य नहीं पाई जाती है। अब प्रकरण का गुणावगुण पर विश्लेषण करने पर यह स्थिति प्रकट होती है कि अपीलाण्ट द्वारा स्वयं को चंदनसिंह के विधिक वारिशान होना बताते हुए जैर अपील वादस्थ भूमि में अपने हिस्से की घोषणा का अनुतोष चाहा। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा में यह उल्लेख किया कि चंदनसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी खातेदारी भूमियों को अपने वारिशान में विभाजित कर दिया था तथा कब्जा भी सुपुर्द कर दिया था। इसका वादीगण द्वारा अपने जवाबुल जवाब में प्रतिकार नहीं किया है तथा वादीगण द्वारा भी यह स्वीकार किया कि वे अपने अपने हिस्से की भूमि पर पृथक पृथक काश्त करते थे। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 एवं सिलसिलेवार अन्य तनकीयात को विनिश्चित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों पर अनुतोष सहित कुल 15 तनकीयात कायम की गई है तथा प्रत्येक तनकी पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए पृथक पृथक रूप से विनिश्चिय किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने एवं गुणावगुण पर भी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 108/2001 दरियाव कंवर बनाम दानाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.02.2008 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 8.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर